संख्या-1o/2018/आ0मि080/96-आयुष-2-2018-147/2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में अनुमोदित 02 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में 01 चिकित्सालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-393/84/मि0नि0/2017-18, दिनॉक 14-12-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/2017/आ0मि0-11/17-आयुष-2-2017-147/2016, दिनांक 28-03-2017 द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर रायबरेली, रायबरेली के उच्चीकरण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा गठित आगणन रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष रू0 37.50 लाख की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निर्गत की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक 17-12-2017 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु की गयी संस्तुति के सम्यक परीक्षणोपरान्त उक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 37.50 लाख व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समायावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
3- अवमुक्त धनराशि का अहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते मे नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निदेर्शो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर अगामी स्वीकृति तभी प्रदान की जायेगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03-08-2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-10/2018/आ0मि080 (1)/96-आयुष-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, होम्योपैथी उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6- वित्त प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसायटी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।